न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

(01)

महावीर मांझी वगै0 बनाम् संतोष मांझी वगै0

विविध वाद संख्या –76 / 2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. महावीर मांझी, पिता – स्व0 कैला मांझी,
2. जागेश्वर मांझी, पिता – स्व0 कैला मांझी,

साकिन – कोल्हरिया, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. श्री संतोष मांझी, पिता – स्व0 बुधन मांझी,
2. श्री बंशी मांझी, पिता – स्व0 बुधन मांझी,
3. श्री तुलो मांझी, पिता – स्व0 बुधन मांझी,
4. श्री भोला मांझी, पिता – तुलो मांझी,

सभी साकिन– बगोदरडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
केशवारी	102	767	16.33 डी0 मधे 8.17 डी0	उ0– जंगल, द0– नीज, पु0– परती, प0– रास्ता। हाल चौहदी उ0 – महेश रविदास, द0 – चन्द्र मांझी, पू0 – आकेलाइन, प0 – रास्ता।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 10.04.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. केवाला संख्या – 10060, दिनांक – 09.07.1984 की छायाप्रति, कुल – 06 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. मसोमत पेमिया वगै0 के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. महावीर मांझी एवं जागेश्वर मांझी के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 2 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 10.04.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 01 – यह कि विवादित जमीन वाके मौजा – केशवारी, थाना – सरिया, थाना नं0 – 30, हल्का नं0 – 03 के अंतर्गत है जो प्रथम पक्षगण के माता मसोमात फुलिया, पति – स्व0 कैला मांझी, पिता – स्व0 धनी मांझी को श्री बुधन मांझी, पिता – स्व0 धनी मांझी द्वारा दान पत्र हासिल है, जिसका दस्तावेज संख्या – 10060, दिनांक – 09.07.1984 ई0 रजिस्ट्री ऑफीस गिरिडीह है।

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि दान पत्र प्राप्त करने के बाद उक्त जमीन पर माता शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है एवं उनके स्वर्गवास कर जाने के बाद हम आवेदकगण दखलकार चले आते है जिससे कुछ प्लॉट पर घर – मकान बना कर रहते चले आ रहे है तथा बाकी बचे जमीन पर खेती – बारी करते चले आ रहे है।

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि विवादित जमीन का विवरण इस प्रकार है। खाता नं0 – 102, प्लॉट संख्या – 767, कुल रकबा – 16.33 डी0 मधे रकबा – 8.17 डी0 चौहदी उ0 – जंगल, द0 – नीज, पू0 – परती, प0 – रास्ता हाल चौहदी उ0 – महेश रविदास, द0 – चन्द्र मांझी, पू0 – आकेलाइन, प0 – रास्ता ।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि उक्त जमीन पर द्वित्तीय पक्षगण दिनांक – 10.04.2024 को पूरे तैयारी के साथ हरवे हथियार से लैस होकर J.C.B मशीन लेकर समय करीब सुबह 9:00 बजे गये एवं मकान निर्माण हेतु नीव खोदने लगे, ज्योहिं हमे इस बात की पता चला हम दोनों भाई मना करने गये एवं कहने लगे कि आप ऐसा क्यों करते हो तो वे लोग भद्दी – भद्दी गालियाँ देने लगे तथा उनके साथ करीब 10–12 आदमी ओर थे जो मुँह में गमच्छा से ढके हुए थें। तथा कहने लगे कि यहाँ से भागते हो कि नहीं वरना यही पर काट कर दफना देगें।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 03.07.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. खाता नं0 – 102, मथुरा मांझी वगै0 के नाम से खतियान की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. मंगर मांझी के नाम से ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**

08.2024

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 01 – वादग्रस्त भूमि का विवरण :–

मौजा	अंचल	थाना/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट संख्या	रकबा	मध्ये रकबा
केशवारी	सरिया	सरिया/30	102	767	$16\frac{1}{3}$ डी0	8.17 डी0
चौहदी	उ0 – जंगल			दं0– नीज		
	पू0 – परती कदीम			पं0 – रास्ता		
हाल चौहदी	उ0 – महेश रविदास			दं0 – चन्द्र मांझी		
	पू0 – अकेलाईन			पं0 – रास्ता		

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – खतियान के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विवरण :–

1. थाना – बगोदर प्रगना – रामपूर, मौजा – केशवारी, थाना नं0 – 330 खेवट नं0 – 02 लगान पाने वाले कुअर रामेश्वर नारायण सिंह थे जो खाता नं0 – 102 मथूरा मांझी वल्द कारु मांझी वो चरकू वो वइजा वो भइता पेसरान जरहा मांझी के नाम पर इन्द्राज पाया गया है।

2. वादग्रस्त भूमि खाता नं0 – 102 के अंदर प्लॉट नं0 – 767 कूल रकबा – 98 डी0 खतियान के अनुसार चौहदी उ0 – जंगल झाडी, दं0 – परती गडहा नीज, पू0 – परती कदीम पं0 – रास्ता दर्ज है।

3. खतियानी रैयत मथुरा मांझी नवल्द ही मृत्यु को प्राप्त हुए।

4. चरकु मांझी अपने पीछे धनी मांझी को छोडकर मृत्यु हो गयी तथा धनी मांझी के एम मात्र पुत्र बुधन मांझी को छोडकर मृत्यु हो गयी तथा बुधन मांझी के तीन पुत्र क्रमशः (1) तुलो मांझी (2) बंशी मांझी (3) संतोष मांझी हुए।

5. खतियान चरकु मांझी का ही वंशज चला जिसपर चरकु मांझी के वंशज का दखल कब्जा रहा है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – जमाबंदी के अनुसार :–

1. जमाबंदी के अनुसार मांग पंजी II भाग संख्या – 14 पेज नं0 – 22 से मंगर मांझी वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम है तथा प्लॉट नं0 – 767 रकबा – 81 डी0 का लगान रसीद निर्गत है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन के अनुसार

1. पारा नं0 – (1) में कहतें हैं कि मसोमात फुलिया पति स्व0 कैला मांझी पिता स्व0 धनी मांझी को श्री बुधन मांझी पिता स्व0 धनी मांझी से हासिल है।

   परन्तु $C.N.T.Act$ से प्रभावित व्यक्ति की जमीन छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के तहत बिना उपायुक्त के आदेश के बिना क्रय – विक्रय नही किया जा सकता है।

2. प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन में कहीं भी उपायुक्त के द्वारा आदेश मिलने के बाद निबंधन कराने कि बात नही लिखी गयी है।

   इससे स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष की माता के नाम पर दाखिल केवाला अवैध तरीके से निष्पादित किया गया है।

3. यह कि पारा नं0 – 2 के अनुसार प्रथम पक्ष कहते हैं कि उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष दखल कार हैं।

ऐसी बात नहीं है उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का झोपडी नुमा करकेट का मकान था जिसे प्रथम पक्ष के द्वारा बलपूर्वक तोडकर गिराने के बाद मुदकमा लाया गया है।

4. पारा नं0 – 4 का लिखित कथन भी गलत है क्यों कि बने हुए मकान पर कोई व्यक्ति जे0 सी0 बी0 मशीन लगाकार नीब की खुदाई नहीं करतें हैं।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 05 – प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल केवाला संख्या – 10060, दिनांक 09/07/1984 बिना उपायुक्त महोदय गिरिडीह के आदेश के बिना निष्पादित किया गया है इस कारण से प्रथम पक्ष का केवाला ही अवैध है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लगान रसिद संख्या – 461178 भी फर्जी है। क्योंकि जब केवाला ही अवैध है तो जमाबंदी कायम होने का कोई सवाल ही नही उठता है। अगर जमाबंदी हो जाता तो केवाला में वर्णित पूरा रकबा लगान रसीद में कायम रहता।

जबकि प्रथम पक्ष के द्वारा मात्र रकबा – 63 डी0 का लगान रसीद दाखिल किया गया है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 08 – यह कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज के नाम पर आज भी वादग्रस्त प्लॉट नं0 – 767 की जमाबंदी कायम है जो मांग पंजी *II* भाग संख्या – 14 पेज नं0 – 22 से निर्गत है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 09 – यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा साल दर साल ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष का उक्त भूमि पर कब्जा बरकरार है।

थाना सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का DR No. – 1045/24, दिनांक – 28.05.2024, कुल – 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

थाना प्रभारी, सरिया के प्रतिवेदन में किसी भी पक्ष के स्पष्ट कब्जा की पुष्टी नहीं की गई है।

अंचल सरिया का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक – 391, दिनांक – 15.06.2024, कुल – 04 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 02 पृष्ठ, रा0 उ0 नि0 एवं प्र0 अं0 नि0 का प्रतिवेदन – कुल – 02 पृष्ठ) – प्रदर्श D-1

अंचल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रथम पक्ष निबंधित दान पत्र केवाला संख्या – 10060, दिनांक – 09.07.1984 के आधार पर दावा कर रहे हैं जबकि द्वित्तीय पक्ष खतियानी रैयत का वंशज होने के आधार पर दावा कर रहे हैं। प्रतिवेदन में किसी भी पक्ष के दखल कब्जा की स्पष्ट पुष्टी नहीं की गई है।

08.2024

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
केशवारी	102	767	16.33 डी0 मधे 8.17 डी0	उ0– जंगल, द0– नीज, पु0– परती, प0– रास्ता। हाल चौहदी उ0 – महेश रविदास, द0 – चन्द्र मांझी, पू0 – आकेलाइन, प0 – रास्ता।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 102, मथुरा मांझी वगै0 के नाम से खतियान में दर्ज है, जो SC/ST के खाता के अंतर्गत आता है।

3. उक्त विवादित भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II के भाग संख्या – 14, पृष्ठ संख्या – 22 पर, मंगर मांझी वगै0 के नाम पर दर्ज है। (**प्रदर्श D-1**)

4. **प्रथम पक्ष** का कहना है कि केवाला संख्या – 10060, दिनांक – 09.07.1984 के माध्यम से, मसोमात फुलिया, पति – स्व0 कैला मांझी एवं मसोमात पेमिया, पति – स्व0 विशुन मांझी को भूमि हासिल है।

   प्रथम पक्ष के द्वारा मसोमात पेमिया वगैरह के नाम से खाता नं0 – 102 का, वर्ष 1987–88 का ऑफलाईन लगान रसीद भी संलग्न किया गया है।

   द्वित्तीय पक्ष का यह कहना है कि प्रशनगत भूमि SC/ST खाता की भूमि है और छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के तहत बिना उपायुक्त के आदेश के इस भूमि का क्रय – विक्रय नही किया जा सकता है, और इस तर्क के आधार पर प्रथम पक्ष के केवाला को अवैध बताया जा रहा है।

5. **द्वित्तीय पक्ष** खतियानी रैयत के वंशज हैं और इसी के आधार पर उनकी ओर से दावा किया जा रहा है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विवादित भूमि SC/ST खाता से संबंधित है जो कि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम से संचालित होता है, और यह विवाद हक – हकियत से भी संबंधित है, और इन दोनों बिन्दुओं पर निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

05.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

05.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.08.20 11:34:12 +05:30
Location: 192.168.1.6